संख्या-38/2026/ 49-3099/35/2025/(I/1490736/2026)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026 -27 में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/802879/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 25.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय- व्ययक में '' बहु उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन '' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 3200.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय- व्ययक में '' बहु उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन '' योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 2425-सहकारिता, 108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 05- बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी- पैक्स) का उन्नयन, 20 - सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 3200.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 800.00 लाख (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित नियम/ शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम / शर्ते / प्रतिबंध :-</u>

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(5) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की दिवरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(8) इस सम्बन्ध मे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा जेम पोर्टल से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० उपभोकता सहकारी संघ लि०, लखनऊ का होगा।

(9) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रशनगत योजना की शासनादेश संख्या-1/1435235/2026, दिनांक 18-08-2026 द्वारा निर्गत कार्य योजना में दिये गये दिशा-निर्देश एवं राज्य सरकार के सुसंगत वितृतीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 8,00,00,000.00(रूपये आठ करोड़ मात्र) को चालू वितृतीय वर्ष 2026-27 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-018 लेखाशीर्ष 2425001080500 बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी0-पैक्स) का उन्नयन मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पनन संखया-E-2-165-X-2026-27-दिनांक:6-10- 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ दवतीय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी(स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग), सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
8) प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 कोआपरेटिव बैक लि0/उ0प्र0 उपभोकता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9) आहरण वितरण अधिकारी, सहकारिता मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।